Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

14-10-2024

परिवादी द्वारा श्री ए.के. त्रिपाठी अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्तगण अनिर्वहित।

परिवाद पत्र पंजीयन पर आदेश हेतु नियत है।

आदेश

इस स्तर पर परिवादी द्वारा परिवाद पत्र एवं धारा 200 दंड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत शपथ पर लेखबद्ध किए गए कथन का अवलोकन किया गया। परिवादी सैयत अली प0सा0–1 ने धारा 200 सीआरपीसी के कथन में व्यक्त किया है कि वह ग्राम बंजारी थाना धूमा का मूल निवासी है, उसका पैतृक मकान ग्राम बंजारी में खसरा नम्बर–64, 65, 67 की भूमि एन एच –7 मेन रोड से लगा है। खसरा नम्बर–65 में उसका पैतृक मकान सडक के किनारे बना था व सडक के किनारे अन्य बहुत से मकान बने थे। 2012 में सडक का चौडीकरण हुआ और फोरलाईन बनने लगी जिसमें उसका व अन्य लोगों का सडक किनारे मकान का अधिगृहण हो गया और सभी को मुआवजा मिला। वन विभाग के नाकेदार का मकान भी सडक के किनारे था, सभी मकान टूट जाने के बाद नाकेदार का मकान उसकी जमीन खसरा नम्बर–65 में बना लिया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को खसरा नम्बर–65 में अधिगृहण करने के बाद खसरा नम्बर–65/2 रकबा 0.03 आरे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम पर दर्ज है। परिवादी साक्षी सैयद की आगे साक्ष्य है कि अधिगृहण के बाद बची भूमि खसरा नम्बर–65/1 रकबा 0.10 आरे उसके व उसके भाई बहनों के नाम शामिल रूप से दर्ज है। मकान व जमीन के अधिगृहण का मुआवजा मिलने पर उसने जबलपुर में मकान खरीदा और वहीं रहने लगा। ग्राम बंजारी की जमीन की देखरेख हेतु बंजारी निवासी रमजान शाह को केयर टैकर रखा था जो खेती व संपत्ति की देखभाल करता था। उसने अपनी जमीन के चारों तरफ पिल्लर और तार की बाउंड्री बनवा दिया था। जनवरी 2024 में जमीन खसरा नम्बर–65/1 में पक्का मकान बनवाया जिसकी देखरेख रमज़ान शाह करता था। मई तक मकान पूर्ण हो गया था, प्लास्टर बचा था। दिनांक 21.05.2024 को उसे फोन से

Order Sheet [Contd]

Case No. .... of 20 ....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	रमजान शाह ने सूचना दिया कि अनावेदगण जे.सी.बी. मशीन के साथ आये और मकान गिराने जा रहे है, उसने मना किया परंतु नहीं माने और बाउंड्री तोडकर पुलिस बल के साथ भीड के साथ अंदर घुस गये और मकान तोड रहे है। उक्त साक्षी का आगे कथन है कि उसे कोई नोटिस नही दिया गया, वह जबलपुर से भाईयों को लेकर आया तब तक मकान गिरा दिया गया था और अनावेदगण वहां से चले गये थे, केवल खंडर व मलवा पडा हुआ था। उक्त साक्षी का कथन है कि अनावेदक ने बिना नाप व सीमांकन कराये बिना जानकारी के बलपूर्वक मकान को तोडकर गिरा गया जिससे उसे दस लाख रूपये का नुकसान हुआ है। अनावेदकगण ने मिलकर षडयंत्र के तहत एकराय होकर उसकी बाउड्रीवाल तो तोडकर उसकी जमीन में घुसकर आपराधिक आशय व षडयंत्र के तहत मकान गिराया है। उक्त संबंध में अधिकारियों को शिकायत की गयी परंतु अधिकारियों के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। परिवादी साक्षी तसलीन मुसलमान, प0सा0–2, अखिलेश मरावी प्र0सा0--3, रमजान खान प्र.सा.–4 ने भी परिवादी की उक्त साक्ष्य के अनुरूप साक्ष्य देकर उक्त साक्ष्य का पूरी तरह समर्थन किया है। परिवाद में उल्लेखित तथ्य एवं उक्त साक्षीगण द्वारा किए गए कथनों से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण/अनावेदकगण द्वारा जमाव कर आपराधिक षडयंत्र से गृह अतिचार कर परिवादी का मकान/बाउंड्रीवाल तोडकर रिष्टि कारित की है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 120बी, 149, 427, 448 भा.द.वि के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का पर्याप्त आधार परिलक्षित होता है। अतः संपूर्ण तथ्यों पर विचार करने के उपरात **अभियुक्तगण 1. मोतीलाल काकोडिया सरपंच ग्राम पंचायत बंजारी थाना धूमा 2. अनाडी लाल काकोडिया सचिव ग्राम पंचायत बखारी थाना धूमा 3. योगेश शिवहरे उपसरपंच ग्राम पंचायत**	

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	बखारी 4. रहीम खान रोजगार सहायक ग्राम पंचायत बखारी 5. दीक्षा पटैल नायब तहसीलदार वृत्त धूमा जिला सिवनी म0प्र के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद को भारतीय दंड संहिता धारा 120बी, 149, 427, 448 तहत् पंजीबद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। परिवाद पंजीयन हेतु केन्द्रीय पंजी सी.आई.एस. मे दर्ज किया जावे। परिवादी को निर्देशित किया जाता है कि आदेशिका शुल्क मय परिवाद की प्रति प्रस्तुत करें तो अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु सूचना पत्र जारी किया जावे। प्रकरण अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु दिनांक 05.11.2024 को पेश हो। (सुश्री सुमित्रा ताहेड) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लखनादौन, जिला-सिवनी (म.प्र.)	5/11/24
05-11-2024	परिवादी सहित श्री ए0के0 त्रिपाठी अधि0 उपस्थित। अभियुक्त अनुपस्थित। प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत है। पूर्व आदेशानुसार परिवादी द्वारा पुनः विधिवत तलवाना दिये जाने पर अभियुक्त की उप0 हेतु साधारण व रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किया जावे। प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु दिनांक 06.12.2024 सुश्री सुमित्रा ताहेड न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, लखनादौन जिला सिवनी म.प्र.	

TRUE COPY
O.I.C.
CIVIL COURT LAKHNADON
SEONI (M.P.)